

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (38) (594) परि/नियम/मु./2019 / 994

जयपुर, दिनांक : 26/11/19

समस्त
प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
----- |

विषय :- वाहन के पंजीयन के संबंध में।


M/s. Ayaan Electronic Pvt. Ltd. द्वारा निर्मित निम्नलिखित वाहन मॉडल के केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत आयातित वाहन के प्रोटोटाइप टेस्ट के प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उक्त वाहन CIRT द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार नियम 92(3) एवं नियम 126 (second proviso) की अनुपालना करते हैं। निर्देशानुसार निम्नवाहनों के लिए पंजीयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sr. No.	Imported Vehicle		Vehicle Category	GVW,Kg	Unladen Weight (kg)	Seating Capacity	Wheel Base, MM
	Model Name	Vehicle Class					
1	EM 3	L1	2 wheeler	200	75	1	1400
2	EM171	L1	2 wheeler	200	75	1	1400

उपरोक्त वाहनों के पंजीयन के समय केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के प्रावधानों की पालना पंजीयन से पूर्व सुनिश्चित करेंगे।

नोट:- एन. सी.आर क्षेत्र के पंजीयन अधिकारी एन.सी.आर के नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(विनोद कुमार)
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक: प.7 (38) (594) परि/नियम/मु./2019 / 995-97 जयपुर, दिनांक 26/11/19

प्रतिलिपि:-

1. M/s Ayaan Electronics Pvt. Ltd., D-20 Mahesh Nagar, 80 Feet Road, Jaipur को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट (प्रोटोटाईप) पर अपलोड करने हेतु।
3. तकनीकी निदेशक, N.I.C., परिवहन मुख्यालय।


संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)